अध्यक्ष, भारतीय शिक्षा समाज एवं अन्य

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 1227/2011)

फरवरी 02, 2011

[आर. वी. रवींद्रन और ए. के. पटनायक, जे. जे.]

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थानः

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1933:

एस. 14- पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले या शिक्षक शिक्षा में प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता-अपीलकर्ता सोसायटी द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान-राष्ट्रीय शिक्षक परिषद (एन सी टी ई) द्वारा संस्थान को शिक्षण सत्र 2001-2001 में दो वर्षीय जूनियर बेसिक प्रशिक्षण (जे. बी. टी.) के संचालन के लिए मान्यता प्रदान करना- राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जे.बी.टी. पाठ्यक्रम (2001-2003)- के लिए संस्थान को सम्बद्घता प्रदान करना- वर्ष 1999 में दो वर्षीय जे.बी.टी. पाठ्यक्रम में 160 छात्रों का प्रवेश-संस्थान द्वारा शैक्षणिक सत्र 1999-2001 में प्रवेशित छात्रों को एक बार की छूट प्रदान करना और बोर्ड को परीक्षा आयोजित करने के लिए निर्देशित करना-160 छात्रों में से 68 छात्र योग्य पाए गए एवं उन्हें परीक्षा

देनी की अनुमति दी गई और उनका परिणाम घोषित किया गया और 92 छात्र अयोग्य पाए गए लेकिन उन्हें प्रथम वर्ष की परीक्षा की अनुमति दी गई- हालांकि उनके परिणाम घोषित नहीं किए गए और दूसरे वर्ष की परीक्षा देने हेतु अनुमति दी गई-92 छात्रों द्वारा रिट पेटीशन में बोर्ड को इस निर्देश की माँग की गई कि उनके प्रथम वर्ष के परिणाम घोषित किए जावे और द्वितीय वर्ष की परीक्षा आयोजित की जावे- उच्च न्यायायल द्वारा खारिज किया गया- अपील में अवधारित किया गया: मान्यता रहित संस्थान द्वारा विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना और उसके पश्चात विद्यार्थियों को परीक्षाओ में भाग लेने की अनुमति की माँग किए जाने का अभ्यास स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है-एस.सी.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों का ध्यान में रखते हुए, एन.सी.टी.ई. द्वारा 17-07-2000 सिविल अपील संख्या सिविल अपील संख्या साल 2000 को मान्यता दिए जाने से पहले, संस्थान जे.बी.टी. पाठ्यक्रम की पेशकश नहीं कर सकते थे, और न ही किसी छात्र को इस तरह के पाठ्यक्रम में प्रवेश दे सकते थे-वर्ष 1999 में कोई मान्यता नहीं थी-इसलिए संस्थान द्वारा वर्ष 1999 में शैक्षणिक सत्र 1999-2001 के लिए गए गए प्रवेश अवैध और अनियमित है और उन्हें अनुमोदित, मान्य और नियमित नहीं किया जा सकता-यह तथ्य कि 1999-2001 बैच के 68 छात्र जिन्हें वर्ष 1999 में प्रवेश दिया गया था, उनके लिए परीक्षा आयोजित करें या उनके परिणाम घोषित करें-इस प्रकार, उच्च न्यायालय का आदेश हस्तक्षेप का आह्वान नहीं कर करता है।

एन.एम. नागेश्वरम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1986) सप. एससीसी 166; ए.पी. क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी बनाम आध्रप्रदेश सरकार (1986) 2 एस.सी.सी. 667; महाराष्ट्र राज्य बनाम विकास सहेलराव राउंडले (1992) 4 एस.सी.सी. 435- निर्भर किया

तमिलनाडु राज्य बनाम सेंट जोसेफ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (1991) 3 एस.सी.सी. 87- संदर्भित किया गया।

धारा 14 (6) संस्थान को सम्बद्घता प्रदान करना, जहाँ मान्यता प्रदान की गई है- वर्ष 2000 के लिए संस्थान को दो वर्षीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जे.बी.टी.) पाठ्यक्रम का संचालन करने के लिए मान्यता- संस्थान को जे.बी.टी. कोर्स (2001-2003) के लिए सम्बद्घता प्रदान करना, हालांकि जे.बी.टी. पाठ्यक्रम के लिए सम्बद्घता प्रदान नहीं की गई- संस्थान को केवलमात्र वर्ष 2009 के लिए सम्बद्घता प्रदान की गई- जे.बी.टी. पाठ्यक्रम वर्ष 2002 और 2003 में छात्रों का प्रवेश- रिट याचिका इस निर्देश की माँग करते हुए कि बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2002-2004 के लिए परीक्षाएं आयोजित करें और संस्थान को सम्बद्घता प्रदान करें और साथ ही 2003-2005 बैच के छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जावे- उच्च न्यायालय द्वारा निस्तारित की गई-छात्रों द्वारा भुगतान की गई फीस व हर्जाना के रूप में 50,000/-रूपये भुगतान करने के निर्देश दिए गए-अपील में अवधारित किया गया: एक संस्थान को एन.सी.टी.ई. को

मान्यता के साथ-साथ परीक्षा निकाय से सम्बद्घता की आवश्यकता होती है। इससे पहले कि वह किसी पाठ्यक्रम या शिक्षक शिक्षा में प्रशिक्षण की पेशकश करें या ऐसे किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में छात्रों को प्रवेश दे। धारा 14 की उपधारा 6 प्रत्येक परीक्षा निकाय के लिए यह अनिवार्य करती है कि वह एन.सी.टी.ई. के संस्थान को मान्यता प्रदान करने का आदेश प्राप्त होने पर उस संस्थान को सम्बद्घता प्रदान करें- मान्यता सम्बद्घता के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है- आगे, धारा 14 की उपधारा 6 का निर्वचन इस तहर से नहीं किया जा सकता कि सम्बद्घता कि प्रक्रिया में फलस्वरूप एक स्वचलित रबर मुद्रांकन बनाये, जाँच निकाय में किसी भी प्रकार के विवेकाधिकार के बिना यह जाँचने के लिए कि क्या संस्थान सम्बद्घता का हकदार है या नहीं, मान्यता से स्वतंत्र-फिर तथ्यों पर, संस्थान गलत धारणा के तहत आगे बढा कि दिनांक 17-07-2000 को एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता जो कि राज्य सरकार द्वारा एन आे सी जारी किए जाने के बाद प्रदान की गई थी जिसके परिणामस्वरूप जाँच निकाय से स्वतः ही सम्बद्घता हो गई-बोर्ड द्वारा संस्थान को एक पूर्व की अवधि हेतु और पश्चातवर्ती अवधि के लिए सम्बद्घता प्रदान की गई- वर्ष 2002-2003 में छात्रों को प्रवेश दिया गया जिनके द्वारा पाठ्यक्रम जो पहले ही पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं और बोर्ड द्वारा भी अनुमति दी गई है-न्याय के उद्देश्य के लिए वर्ष 2002 और 2003 में संस्थान के छात्रों के प्रवेश को बोर्ड द्वारा पात्रता के निर्धारित मापदण्ड को पूरा करने के अधीन नियमित किया

जाना चाहिए और उनके परिणाम घोषित किए जाने चाहिए-उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2002 और 2003 में भर्ती हुए छात्रों के लिए 50,000/-रूपये हर्जाना देने के निर्देश अपास्त किया गया।

मान्यता और सम्बद्घता-उद्देश्य-अवधारित: भिन्न है- सम्बद्घता एक संस्थान को अपने छात्रों को परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओ में भाग लेने के लिए सक्षम बनाती है और अनुमति देती है व डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र की प्रकृति में योग्यता हासिल करती है-"मान्यता" संस्थान को किसी पाठ्यक्रम या शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण की पेशकश करने का लाईसेंस है।

धारा 14 (6) संस्थान को सम्बद्घता करना, जहाँ, मान्यता प्रदान की जा चुकी है-वर्ष 2000 में दो वर्षीय जूनियर बेसिक प्रशिक्षण (जे.बी.टी.) संचालित करने हेतु संस्थान को मान्यता प्रदान करना-दो वर्षीय जे.बी.टी. पाठ्यक्रम (2001-2003) के लिए संस्थान को सम्बद्घता, हालांकि बाद के जो जे.बी.टी. पाठ्यक्रम के लिए सम्बद्घता नहीं दी गई- संस्थान को केवलमात्र वर्ष 2009 के लिए सम्बद्घता प्रदान की गई- संस्थान के शैक्षणिक सत्र 2004-2006 और 2005-2007 हेतु सम्बद्घता की माँग करने वाली रिट याचिका और उक्त शैक्षणिक सत्र के लिए सरकार को छात्रों को प्रवेश हेतु प्रायोजित करने के निर्देश-उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृत-अपील में अवधारितः राज्य सरकार द्वारा संस्थान को कोई भी उम्मीदवार

आवंटित नहीं किया गया, न ही संस्थान द्वारा स्वतंत्र रूप से किसी उम्मीदवार को शैक्षणिक सत्र 2004-2006 और 2005-2007 के लिए उम्मीदवार को आवंटित करने के लिए बोर्ड को निर्देश देने की प्रार्थना बची नहीं रह जाती-उन वर्षों के लिए सम्बद्घता प्रदान करने का प्रश्न शैक्षणिक और विचार के लिए नहीं उठता-अधिसूचना यह जांचने के लिए समिति के गठन से संबंधित थी कि क्या संस्थान ने एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता से पहले प्रवेश करने से पहले कोई अनियमितता की थी, गलत नहीं था-एन.सी.टी.ई. से मान्यता और 2009 में बोर्ड से सम्बद्घता के बाद यह मुद्दा अकादमिक है-नतीजतन अपीलें निष्फल हो जाने के कारण खारिज की जाती है।

संदर्भित न्यायिक दृष्टांत

(1991) 3 एससीसी 87 संदर्भित किया गया पैरा 10

(1986) सप्ली. एससीसी 166 निर्भर किया गया पैरा 11

(1986) 2 एससीसी 667 निर्भर किया गया पैरा 11

(1992) 4 एससीसी 435 निर्भर किया गया पैरा 11

सिविल अपीलीय न्याय निर्णय: सिविल अपील संख्या 2011 की 1227

उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2004 की 622 में निर्णय एवं आदेश दिनांकित 03.09.2002 से

साथ में

सी.ए.नं० 1228, 1229, 1230-1231 एंव 1232-1233 2011 की

पी.एस. पटवालिया, किरन सूरी, अपर्णा मट्टू, एस जे अमित, विजय वर्मा, विनोद शर्मा, इरशाद अहमद अपीलार्थी की औरसे

नरेश के.शर्मा, कीर्ति रेनू मिश्रा, रिषी जैन, बलराज दीवान, विकास महाजन, विशाल महाजन ई.सी. विद्या सागर, तुलिका प्रकाश प्रत्यर्थी की औरसे

न्यायालय का आदेश आर.वी.रवीन्द्रन जे.,अभिनिर्धारित किया गया

1. अनुमति दी गई। सुना गया।

2. भारतीय एजुकेशन सोसाइटी (संक्षेप में 'सोसाइटी') गांधी नगर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में एक संस्थान चलाती है जिसे रामेश्वरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (संक्षेप में 'संस्थान') के नाम से जाना जाता है। संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2000-2001 से 50 सीटों के साथ दो वर्षीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी) पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए दिनांक 17.7.2000 के

आदेश द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संक्षेप में, 'एनसीटीई') द्वारा मान्यता दी गई थी। एनसीटीई ने शैक्षणिक सत्र 2002-2004 से प्रवेश संख्या बढ़ाकर 100 कर दी। मान्यता मिलने के बाद, संस्थान ने 31.8.2001 को परीक्षा निकाय -हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (संक्षेप में 'बोर्ड') से संबद्धता के लिए आवेदन किया। बोर्ड ने दो आदेशों द्वारा संस्थान को दो वर्षीय जेबीटी पाठ्यक्रम (2001-2003) के लिए संबद्धता प्रदान की, अर्थात् दो वर्षीय पाठ्यक्रम (2001-2002) के पहले वर्ष के लिए आदेश दिनांक 31.12.2001 और आदेश दिनांक 27.12.2002 दो वर्षीय पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष (2002-2003) के लिए। हालाँकि, बोर्ड ने बाद के जेबीटी पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता प्रदान नहीं की और वास्तव में दिनांक 20.1.2004 के आदेश द्वारा संबद्धता से इनकार कर दिया। अंततः यह कहा गया है कि बोर्ड द्वारा संस्थान को संबद्धता केवल वर्ष 2009 में ही प्रदान की गई थी। राज्य सरकार ने दिनांक 17.10.2002 के पत्र द्वारा, हालांकि शैक्षणिक सत्र 1999-2001 और 2000-2002 के लिए संस्थान द्वारा प्रवेशित छात्रों के संबंध में एक बार की छूट दी थी और बोर्ड को उन छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया। इसके अनुपालन में बोर्ड ने 1999-2001 और 2000-2002 बैच के पात्र छात्रों को दिसंबर 2002 में परीक्षा देने की अनुमति दी।

3. वर्ष 1999 में संस्थान द्वारा दो वर्षीय जेबीटी पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2003 के सीडब्ल्यूपी नंबर

819, 2004 के 1178, 1188, 1194, 1204 और 2005 के 50 दायर कर निर्देश देने की प्रार्थना की कि बोर्ड 1999-2001 बैच के प्रथम वर्ष के जेबीटी पाठ्यक्रम के परिणाम घोषित करे और 1999-2001 बैच के छात्रों के लिए दूसरे वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड को एक और निर्देश दे। वर्ष 2002 में संस्थान द्वारा जेबीटी पाठ्यक्रम में प्रवेशित एक छात्र ने 2004 का सीडब्ल्यूपी नंबर 622 दायर कर शैक्षणिक सत्र 2002-2004 के लिए प्रवेशित छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड को निर्देश देने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने अपने सामान्य निर्णय दिनांक 13.1.2006 द्वारा 1999-2001 और 2002-2004 बैचों से संबंधित उक्त याचिकाओं में प्रार्थनाओं को खारिज कर दिया, लेकिन हालांकि एक अलग राहत रिट याचिकाएं दायर करने वाले छात्रों को सोसायटी और संस्थान को निर्देश देकर दी गई कि उनके द्वारा भुगतान की गई फीस वापस करे और उनमें से प्रत्येक को हर्जाने के रूप में 50,000/- रुपये का भुगतान भी करे।

4. वर्ष 2003 में संस्थान द्वारा प्रवेशित कुछ छात्रों द्वारा 2005 की सीडब्ल्यूपी संख्या 170 और 2005 की 1231 दायर की गई थी, जिसमें संस्थान को संबद्धता प्रदान करने की अनुमति देने और 2003-2005 बैच के छात्रों को परीक्षाआेंं में शामिल होने के लिए छात्रों को अनुमति देने के लिए कदम उठाने के लिए बोर्ड को निर्देश देने की मांग की गई थी। 2005 की सीडब्ल्यूपी संख्या 251 और 252 सोसायटी/संस्थान द्वारा दायर

की गई थी, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2004-2006 और 2005-2007 के लिए संबद्धता प्रदान करने के लिए बोर्ड को निर्देश देने और सरकार को उक्त 2004-2006 और 2005-2007 शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए छात्रों को प्रायोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इन चार रिट याचिकाओं का निपटारा एक अन्य सामान्य निर्णय दिनांक 12.7.2007 द्वारा किया गया। सोसायटी/संस्थान द्वारा दायर 2005 की सीडब्ल्यूपी संख्या 251 और 252 को खारिज कर दिया गया। 2003-2005 बैच के छात्रों द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी संख्या 170 और 1231/2005 का सोसायटी और संस्थान को यह निर्देश देकर निपटाया गया कि उन छात्रों से प्राप्त फीस वापस की जाए और उनमें से प्रत्येक को 50,000/- रुपये का हर्जाना दिया जाए।

5. 2002-2004 बैच से संबंधित सीडब्ल्यूपी संख्या 622/2004 में दिनांक 13.1.2006 के फैसले के खिलाफ सोसायटी/संस्थान द्वारा सीए संख्या 1227/2011 दायर किया गया है। सीए नंबर 1228/2011 सोसायटी/संस्थान द्वारा दायर किया गया है और सीए नंबर 1229/2011 1999 में प्रवेशित छात्रों द्वारा दायर किया गया है, सीडब्ल्यूपी नंबर 819/2003, 1178, 1188, 1194 में दिनांक 13.1.2006 के फैसले के खिलाफ। 1999-2001 बैच से संबंधित 2004 का 1204 और 50/2005। 2003-2005 बैच से संबंधित सीडब्ल्यूपी संख्या 170/2005 और 1231/2005 में दिनांक 12.7.2007 के फैसले के खिलाफ सोसायटी/संस्थान

द्वारा सीए संख्या 1230-1231/2011 दायर किया गया है। सीए संख्या 1232-1233/2011 शैक्षणिक सत्र 2004-2006 और 2005-2007 से संबंधित 2005 के सीडब्ल्यूपी संख्या 251 और 252 में दिनांक 12.7.2007 के फैसले के खिलाफ सोसायटी/संस्थान द्वारा दायर की गई है।

2011 का सीए नंबर 1228 और 1229 (1999 में हुए प्रवेश)

6. संस्थान ने वर्ष 1999 में 160 छात्रों को दो वर्षीय जेबीटी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया। राज्य सरकार ने बोर्ड को दिनांक 17.10.2002 को संबोधित पत्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 1999-2001 के लिए संस्थान द्वारा प्रवेशित छात्रों के प्रवेश के संबंध में एकबार छूट देने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया और बोर्ड को उनके लिए परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया। राज्य सरकार द्वारा इस तरह की एक बार की छूट के अनुसरण में, बोर्ड ने 1999-2001 शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेशित 160 छात्रों की पात्रता पर विचार किया और 68 छात्रों को योग्य पाया और उन्हें परीक्षा देने की अनुमति दी और उनके परिणाम घोषित किए। बोर्ड ने पाया कि शेष 92 छात्र अयोग्य थे (या तो क्योंकि उन्होंने द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी या निर्धारित आयु सीमा के भीतर नहीं आते थे)। हालाँकि, बोर्ड ने उन 92 उम्मीदवारों को भी प्रथम वर्ष की परीक्षा देने की अनुमति दी, लेकिन उनके परिणाम घोषित नहीं किए गए और न

ही उन्हें दूसरे वर्ष की परीक्षा देने की अनुमति दी गई। छात्रों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि राज्य सरकार और बोर्ड द्वारा अपनाए गए पात्रता मानदंड/मानदंडों के संबंध में कुछ भ्रम था और संदेह/भ्रम का लाभ उन छात्रों को दिया जाना चाहिए जिनके मैट्रिकुलेशन में आवश्यक द्वितीय श्रेणी नहीं थी या निर्धारित आयु सीमा से अधिक थे। इसलिए उन्होंने बोर्ड को 1999-2001 बैच के छात्रों के लिए प्रथम वर्ष के परिणाम घोषित करने और दूसरे वर्ष की परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की।

7. यह सुस्थापित है कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जा सकता है जो परीक्षा निकाय और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पात्र हैं। इसलिए, जब तक छात्र बोर्ड द्वारा निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, जो संबद्ध और जांच प्राधिकारी है, उनका प्रवेश अमान्य होगा और उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चूंकि बोर्ड ने पाया कि 92 छात्र पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए उसने पाठ्यक्रम में उनके प्रवेश को अस्वीकार कर दिया। लेकिन बोर्ड की पात्रता आवश्यकताओं को पूरा न करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है, वर्ष 1999 में एनसीटीई की मान्यता का अभाव। जैसा कि ऊपर देखा गया है, 17-07-2000 को एनसीटीई द्वारा संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2000 से 2002 को ही मान्यता

प्रदान की गई थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एनसीटीई से मान्यता मिलने से पहले 1999 में हुए दाखिले वैध हैं।

8. सोसाइटी/संस्थान ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने मान्यता के लिए 11.4.1997 को एनसीटीई में आवेदन किया था; एनसीटीई ने यह कहते हुए जवाब दिया कि संस्थान द्वारा राज्य सरकार से एनओसी प्राप्त करने पर वह मान्यता के अनुरोध पर विचार करेगा; कि राज्य सरकार ने 20.9.1999 को अपनी एनओसी दी थी; और इसलिए, वे इस धारणा के तहत सद्भाविक रूप से आगे बढ़े कि संस्थान 1999 के बाद से प्रवेश दे सकता है। इसलिए सोसाइटी/संस्थान ने प्रस्तुत किया कि वर्ष 1999 में किए गए प्रवेशों को नियमित माना जाना चाहिए, जब संस्थान को 17.7.2000 को मान्यता दी गई थी।

9. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (संक्षेप में 'एनसीटीई अधिनियम') की धारा 14 शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों की मान्यता से संबंधित है। इसकी उप-धारा (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक संस्थान जो नियत दिन पर या उसके बाद शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की पेशकश या पेशकश करने का इरादा रखता है, अधिनियम के तहत मान्यता प्रदान करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय समिति को आवेदन कर सकता है। प्रपत्र और ऐसे तरीके से जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। एनसीटीई अधिनियम

1.7.1995 को लागू हुआ और उक्त अधिनियम के लागू होने का दिन 17.8.1995 बताया गया है। एनसीटीई अधिनियम की धारा 14(1) और (5), 15, 16, और 17(3) और (4) को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि लागू होने के दिन के बाद, कोई भी संस्थान पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू या पेश नहीं कर सकता है। एनसीटीई द्वारा मान्यता के बिना शिक्षक शिक्षा और परिणामस्वरूप, किसी भी छात्र को ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है और न ही ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण से संबंधित किसी भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। सोसायटी ने लागू होने के दिन के बाद संस्थान की स्थापना और शुरुआत की। सोसायटी ने 11.4.1997 को मान्यता के लिए एनसीटीई में आवेदन किया। एनसीटीई को सोसायटी को हिमाचल प्रदेश सरकार से एनओसी प्राप्त करने और प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। उक्त एनओसी 20.9.1999 को प्रदान की गई थी। इसके अनुसरण में, एनसीटीई ने 17.7.2000 को संस्थान को मान्यता प्रदान की। एनसीटीई के आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया कि मान्यता शैक्षणिक वर्ष 2000-2001 से शुरू होने वाले दो वर्षीय जेबीटी पाठ्यक्रम के संचालन के लिए थी, जिसमें 50 छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता थी। एनसीटीई अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, एनसीटीई द्वारा 17.7.2000 को मान्यता प्रदान करने से पहले, संस्थान जेबीटी पाठ्यक्रम की पेशकश नहीं कर सकता था और न ही किसी भी छात्र को ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश दे सकता था। इसलिए,

संस्थान द्वारा वर्ष 1999 में शैक्षणिक सत्र 1999-2001 के लिए किए गए प्रवेश

अवैध और अनियमित हैं और इन्हें अनुमोदित, मान्य या नियमित नहीं किया जा सकता है।

10. छात्रों ने बताया कि राज्य सरकार और बोर्ड ने 1999-2001 बैच के 68 छात्रों के प्रवेश को स्वीकार और नियमित कर दिया है और इसलिए उन्हें समान लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तथ्य यह है कि राज्य सरकार और बोर्ड ने एनसीटीई मान्यता की अनुपस्थिति को नजरअंदाज करने का फैसला किया और 1999 में प्रवेशित छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति दी या 68 छात्रों के परिणाम घोषित किए जो राज्य/बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र थे। यह हमारे लिए एनसीटीई अधिनियम की अनिवार्य वैधानिक आवश्यकताओं की अनदेखी करने और बोर्ड को वर्ष 1999 में प्रवेशित शेष 92 छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने या उनके परिणाम घोषित करने की आवश्यकता के द्वारा एक अवैधता को कायम रखने का आधार नहीं बन सकता, तमिलनाडु राज्य बनाम सेंट जोसेफ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान - (1991) 3 एससीसी 87 में, इस न्यायालय ने गैर-मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति देने के किसी भी निर्देश को अस्वीकार कर दिया, यहां तक कि पूर्व-एनसीटीई युग में भी . इस न्यायालय ने कहा:

"इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त किए बिना शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। शिक्षा विभाग से मान्यता के अभाव में, इन संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्र शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सकते। पूर्ण पीठ ने ठीक ही कहा कि गैर-मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को सरकार द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अपने स्वयं के निष्कर्षों पर, पूर्ण पीठ को याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर देना चाहिए था लेकिन उसे मानवीय आधार पर निर्देश जारी करने के लिए राजी किया गया, जो वास्तव में उसके अपने निष्कर्षों और उसके द्वारा निर्धारित कानून के लिए विनाशकारी थे। पूर्ण पीठ ने छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने निर्देश जारी किए और अपीलकर्ता अधिकारियों को पूरक परीक्षा के लिए एक विशेष प्रावधान बनाने हेतु निर्देश जारी किये। हमारी राय में ये निर्देश अनधिकृत और पूरी तरह से अनुचित थे।.....न्यायालय कानून के विपरीत मानवीय आधार पर किसी पक्ष को राहत नहीं दे सकते। चूंकि गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्र कानूनी तौर पर सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा में उपस्थित होने के हकदार नहीं थे, इसलिए उच्च न्यायालय ने ऐसे छात्रों को सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देकर कानून का उल्लंघन किया।"

11. गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा छात्रों को प्रवेश देने और फिर छात्रों को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति मांगने की प्रथा को इस न्यायालय द्वारा बार-बार अस्वीकार किया गया है [देखें: एन एम नागेश्वरम्मा बनाम आंध्रप्रदेश राज्य - (1986) सप्ली. एससीसी 166, एपी क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी बनाम एपी सरकार - (1986) 2 एससीसी 667, और महाराष्ट्र राज्य बनाम विकास सहेलराव राउंडेल - (1992) 4 एससीसी 435] इसलिए, हमें उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है, जिसमें 1999 में प्रवेशित छात्रों की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था ताकि बोर्ड को उनके द्वारा आयोजित जेबीटी परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश देकर उनके प्रवेश को नियमित किया जा सके। इसलिए 1999 के प्रवेश के संबंध में सोसायटी/संस्थान और छात्रों द्वारा दायर की गई दो अपीलें (सीए संख्या 1228 और 1229/2011) खारिज किए जाने योग्य हैं।

2011 के सीए नंबर 1227 और 1230-1231 (2002 और 2003 में हुए प्रवेश)

12. जब संस्थान ने वर्ष 2002 और 2003 में (2002-2004 और 2003-2005 शैक्षणिक सत्रों के लिए) जेबीटी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए, तो संस्थान को दिनांक 17.7.2000 के आदेश के तहत एनसीटीई से मान्यता प्राप्त थी। संस्थान द्वारा किए गए प्रवेश अनुमत प्रवेश के भीतर थे।

2002 और 2003 के दौरान प्रवेशित छात्रों ने पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। बोर्ड द्वारा छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति भी दे दी गई है और केवल उनके परिणाम घोषित किए जाने बाकी हैं।

13. 17.7.2000 को एनसीटीई से मान्यता प्राप्त करने के बाद, संस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2000-2002 के लिए संबद्धता के लिए बोर्ड को आवेदन किया। बोर्ड ने दिनांक 31.8.2001 को पत्र द्वारा संस्थान को सूचित किया कि जेबीटी प्रशिक्षण संस्थानों को संबद्धता प्रदान करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हालाँकि, बाद के आदेश दिनांक 31.12.2001 द्वारा, बोर्ड ने केवल वर्ष 2001-2002 के लिए दो वर्षीय जेबीटी पाठ्यक्रम के लिए संबद्धता प्रदान की, इस शर्त के साथ कि संस्थान को पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष के लिए नई संबद्धता लेनी होगी। राज्य सरकार ने दिनांक 20.1.2004 और 8.3.2004 के पत्रों द्वारा 2002-2004 बैच के प्रवेशों को नियमित करने और उनके लिए परीक्षा आयोजित करने के सोसायटी के अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया कि संस्थान ने निर्धारित प्रवेश प्रक्रियाओं की अनदेखी करके प्रवेश दिए थे। राज्य सरकार द्वारा. प्रवेश में लगातार अनियमितताओं के कारण राज्य सरकार ने दिनांक 30.10.2004 के पत्र द्वारा बोर्ड को संस्थान को संबद्धता न देने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने 2002-2004 और 2003-2005 सत्र में प्रवेश पाने वाले छात्रों को इस आधार पर राहत देने से

इनकार कर दिया कि परीक्षा निकाय से संबद्धता के बिना संस्थान द्वारा छात्रों का प्रवेश अवैध और अमान्य था।

14. संस्थान के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि एनसीटीई अधिनियम की धारा 14(6) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा निकाय उस संस्थान को संबद्धता प्रदान करने के लिए बाध्य है जिसके संबंध में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। उन्होंने निवेदन किया कि जहां किसी संस्थान को एनसीटीई द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, तो परीक्षा निकाय के साथ संबद्धता स्वचालित रूप से अनुसरण की जानी चाहिए और इस तरह की मान्यता प्राप्त संबद्धता के मद्देनजर, परीक्षा निकाय के पास संबद्धता से इनकार करने का कोई विवेक नहीं है। उन्होंने निवेदन किया कि जब एनसीटीई ने 17.7.2000 को मान्यता प्रदान की, तो संस्थान इस धारणा पर आगे बढ़ा कि परीक्षा निकाय के साथ संबद्धता अपने आप थी और इसलिए उसने संबद्धता के किसी विशिष्ट आदेश की प्रतीक्षा किए बिना प्रवेश देना शुरू कर दिया था।

15. 'मान्यता' और 'संबद्धता' का उद्देश्य अलग-अलग है। एनसीटीई अधिनियम के संदर्भ में, 'संबद्धता' किसी संस्थान को अपने छात्रों को परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाती है और अनुमति देती है और डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र की प्रकृति में योग्यता सुरक्षित करती है। दूसरी ओर, 'मान्यता' संस्थान को

शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने का लाइसेंस है। एनसीटीई अधिनियम से पहले, शिक्षक शिक्षा प्रणाली के विकास की योजना बनाने और समन्वय करने के लिए एक शीर्ष निकाय की अनुपस्थिति में, 'मान्यता' प्रदान करने सहित शिक्षक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का संबंधित विनियमन और उचित रखरखाव राज्य सरकार और विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता था। एनसीटीई अधिनियम के लागू होने के बाद, एनसीटीई के मान्यता प्रदान करने वाले प्राधिकारी के रूप में और परीक्षा निकायों के 'संबद्ध प्राधिकारी' के रूप में कार्य स्पष्ट हो गए, हालांकि उनके कार्य कई मुद्दों पर ओवरलैप होते हैं। एनसीटीई अधिनियम उनके गतिविधि क्षेत्र में परीक्षा निकायों की भूमिका को मान्यता देता है।

16. एनसीटीई अधिनियम की धारा 14 के अनुसार संस्थान को शिक्षक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने से पहले एनसीटीई द्वारा संस्थान की मान्यता की आवश्यकता होती है। धारा 14 की उपधारा (4) में प्रावधान है कि उपधारा (3) के तहत शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए किसी संस्थान को मान्यता देने या अस्वीकार करने का प्रत्येक आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और उचित कार्रवाई के लिए ऐसी संस्था और संबंधित परीक्षा निकाय, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार और केंद्र सरकार को रूप में सूचित किया जाएगा। धारा 14 की उपधारा (6) में प्रत्येक परीक्षा निकाय

को उपधारा (4) के तहत आदेश प्राप्त होने पर उस संस्थान से संबद्धता प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जहां मान्यता प्रदान की गई है; या उस संस्थान की संबद्धता रद्द कर दें, जहां मान्यता देने से इनकार कर दिया गया हो। एनसीटीई अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान है कि फिलहाल लागू किसी भी अन्य कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, कोई भी परीक्षा निकाय किसी भी संस्थान को अस्थायी या अन्यथा संबद्धता प्रदान नहीं करेगा, या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। जब तक कि संबंधित संस्थान ने धारा 14 के तहत एनसीटीई की क्षेत्रीय समिति से मान्यता या अधिनियम की धारा 15 के तहत पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए अनुमति प्राप्त नहीं कर ली हो।

17. धारा 14 की उप-धारा (6) निस्संदेह प्रत्येक परीक्षा निकाय को ऐसे संस्थान को मान्यता देने वाले एनसीटीई के आदेश की प्राप्ति पर संस्थान को संबद्धता प्रदान करने का आदेश देती है। इसका मतलब केवल यह है कि मान्यता संबद्धता के लिए एक शर्त है और परीक्षा निकाय के पास मान्यता प्रदान करते समय एनसीटीई द्वारा विचार किए गए किसी भी कारक के संदर्भ में संबद्धता से इनकार करने का कोई विवेक नहीं है। उदाहरण के लिए, एनसीटीई को शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए किसी संस्थान के समुचित कामकाज के लिए आवश्यक पर्याप्त वित्तीय संसाधनों, आवास, पुस्तकालय, योग्य कर्मचारियों और प्रयोगशाला के बारे

में संतुष्ट होना आवश्यक है। इसलिए, जब एनसीटीई द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, तो यह निहित होता है कि एनसीटीई उन पहलुओं पर संतुष्ट है। नतीजतन, जांच करने वाली संस्था इस आधार पर संबद्धता से इनकार नहीं कर सकती है कि संस्थान के पास संस्थान के समुचित कामकाज के लिए आवश्यक पर्याप्त वित्तीय संसाधन, आवास, पुस्तकालय, योग्य कर्मचारी या प्रयोगशाला नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परीक्षा निकाय को राज्य सरकार और/या परीक्षा निकाय के क्षेत्र में आने वाले पाठ्यक्रमों या छात्रों के प्रवेश के तरीके या अन्य क्षेत्रों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में अपनी आवश्यकताओं के अनुपालन की आवश्यकता नहीं हो सकती है। यहां तक कि एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश दिनांक 17.7.2000 में विशेष रूप से संस्थान को एनसीटीई की शर्तों के अलावा संबद्ध निकाय और राज्य सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता पर विचार किया गया है। हम इस संबंध में एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश की शर्तें 4, 5 और 6 नीचे देते हैं:

"4. अनुमोदित पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो पाठ्यक्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों और संबद्ध विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके के अनुसार पात्र हैं।

5. शुल्क संरचना के संबंध में एनसीटीई के नियम लागू होने तक संबद्ध विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार छात्रों से ट्यूशन शुल्क और अन्य शुल्क लिया जाएगा।

6. व्यावहारिक कार्य/गतिविधियों सहित पाठ्यचर्या लेनदेन, पाठ्यक्रम के लिए एनसीटीई मानदंडों और मानकों और संबद्ध विश्वविद्यालय/परीक्षा निकाय की आवश्यकताओं के अनुसार आयोजित किया जाना चाहिए।"

इसलिए परीक्षा निकाय एनसीटीई द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए छात्रों की पात्रता के संबंध में अपनी आवश्यकताएं लागू कर सकता है। राज्य सरकार और परीक्षा निकाय भी प्रवेश के तरीके को विनियमित कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, यदि प्रवेश में कोई अनियमितता है या परीक्षा निकाय द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों का उल्लंघन है या परीक्षा निकाय द्वारा विनियमित और शासित किसी भी मामले के संदर्भ में कोई अनियमितता है, तो परीक्षा निकाय इस तथ्य के बावजूद संबद्धता को रद्द कर सकता है कि संस्थान को एनसीटीई की मान्यता प्राप्त है। धारा 14 की उप-धारा (6) की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि संबद्धता की प्रक्रिया, मान्यता के परिणामस्वरूप एक स्वचालित रबर-स्टांपिंग बन जाए, बिना परीक्षा निकाय में किसी भी प्रकार के विवेक के बिना कि क्या संस्थान संबद्धता के योग्य है या नहीं, मान्यता से स्वतंत्र। किसी संस्थान को शिक्षक शिक्षा में

पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की पेशकश करने या छात्रों को ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में प्रवेश देने से पहले एनसीटीई की मान्यता के साथ-साथ परीक्षा निकाय से संबद्धता की आवश्यकता होती है। जैसा हो सकता है वैसा रहने दें।

18. इस मामले से जुड़े कुछ खास तथ्यों पर ध्यान देने की जरूरत है। संस्थान स्पष्ट रूप से इस गलत धारणा के तहत आगे बढ़ा कि एनसीटीई द्वारा 17.7.2000 को मान्यता, जो राज्य सरकार द्वारा एनओसी जारी करने के बाद दी गई थी, के परिणामस्वरूप परीक्षा निकाय के साथ स्वत: संबद्धता हो गई। बोर्ड ने संस्थान को पहले की अवधि के लिए और बाद की अवधि के लिए भी संबद्धता प्रदान की है। 2002 और 2003 में दाखिला लेने वाले छात्रों ने पहले ही पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा और संबद्धता प्राधिकारी बोर्ड द्वारा अनुमति भी दे दी गई है। विशिष्ट परिस्थितियों में, पूर्ण न्याय करने के लिए, हमारा विचार है कि वर्ष 2002 और 2003 में संस्थान में छात्रों के प्रवेश को बोर्ड द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन नियमित किया जाना चाहिए और उनके परिणाम घोषित किए जाने चाहिए। इस सीमित सीमा तक, 2002 और 2003 के प्रवेश से संबंधित अपीलें सफल होती हैं। सीए क्रमांक 1227/2011 एवं 1230-1231/2011 का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

19. उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सोसायटी और संस्थान ने वैधानिक प्रावधानों और मानदंडों का उल्लंघन करते हुए, रिट याचिकाकर्ताओं वाले सभी छात्रों से ली गई फीस वापस करनी चाहिए और उनमें से प्रत्येक को हर्जाने के रूप में 50,000/- रुपये का भुगतान भी करना चाहिए। प्रत्येक छात्र को 50,000/- रुपये का हर्जाना देने के उच्च न्यायालय के उक्त निर्देश को वर्ष 2002 और 2003 में प्रवेशित छात्रों के मामले में रद्द कर दिया गया है।

सिविल अपील संख्या 1232-1233/2011 (री 2004-2006 और 2005-2007)

20. ये अपीलें सोसायटी और संस्थान द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए दायर रिट याचिकाओं (डब्ल्यूपी नंबर 251-252/2005) को खारिज करने से उत्पन्न हुई हैं: (ए) 2004-2006 और 2005 के लिए संस्थान को संबद्धता प्रदान करने के लिए- (बी) दिनांक 20.6.2002 और 25.6.2002 की अधिसूचनाओं को रद्द करने के लिए; और (सी) शैक्षणिक सत्र 2004-2006 और 2005-2007 के लिए छात्रों को प्रायोजित करने के लिए राज्य सरकार और बोर्ड को निर्देश देने के लिए।

21. निस्संदेह राज्य सरकार द्वारा संस्थान को कोई भी उम्मीदवार आवंटित नहीं किया गया था, न ही संस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2004-2006 और 2005-2007 के लिए स्वतंत्र रूप से किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश

दिया था। जैसा कि हम वर्ष 2011 में हैं, 2004-2006 और 2005-2007 के लिए उम्मीदवारों को आवंटित करने के लिए बोर्ड को निर्देश देने की प्रार्थना बची नहीं रह जाती है। वर्ष 2009 में संस्थान को संबद्धता प्रदान करने के मद्देनजर और शैक्षणिक सत्र 2004-2006 और 2005-2007 के लिए किसी भी छात्र के प्रवेश की अनुपस्थिति में, उन वर्षों के लिए संबद्धता प्रदान करने का प्रश्न शैक्षणिक है और विचार के लिए नहीं उठता है। .

22. दिनांक 20.6.2002 और 26.5.2002 की अधिसूचनाएँ यह जांचने के लिए एक समिति के गठन से संबंधित थीं कि क्या संस्थान ने एनसीटीई द्वारा मान्यता से पहले प्रवेश करने में कोई अनियमितता की थी। ऐसी समिति के गठन में कुछ भी ग़लत नहीं था। बहरहाल, एनसीटीई से मान्यता और 2009 में बोर्ड से संबद्धता के बाद यह मुद्दा अकादमिक है। नतीजतन, सीए संख्या 1232-1233/2011 निष्फल हो जाने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

निष्कर्ष:

23. हम तदनुसार अपीलों का निपटान इस प्रकार करते हैं:

(i) CA No.1228/2011 और 1229/2011 खारिज किये जाते हैं

(ii) सीए संख्या 1227/2011 और 1230-1231/2011 का निपटान उपरोक्त पैरा 18 और 19 के अनुसार किया जाता है।

(iii)सीए संख्या 1232-1233/2001 को निष्फल होने के कारण खारिज किया जाता है।

(iv) चूंकि 1999 में प्रवेशित छात्र 2003 से मुकदमेबाजी कर रहे हैं, हम निर्देश देते हैं कि यदि ये छात्र 2011 में संस्थान में नए प्रवेश चाहते हैं, तो उन्हें पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर केवल आयु की आवश्यकता में छूट प्रदान कर पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।चूंकि उन्होंने 1999-2001 में पाठ्यक्रम के लिए फीस का भुगतान कर दिया है, इसलिए संस्थान द्वारा उनसे कोई और शुल्क नहीं लिया जाएगा।

अपीलें निस्तारित की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राधिका सिंह चारण (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।